

## वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रेषक,

कुलसचिव,  
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय,  
जौनपुर।



पत्रांक: पू.वि.वि./सम्बद्धता/01-(तीन)/2015/ 943  
दिनांक: 26-5-15

सेवा में,

प्रबन्धक,  
स्व0 ईशदत्त स्मारक स्नातकोत्तर महाविद्यालय,  
देवाराकदीम, महाराजगंज, आजमगढ़।

विषय:- स्ववित्तपोषित योजना के अधीन स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत-हिन्दी, भूगोल, प्रा0इतिहास एवं गृहविज्ञान विषयों में प्रवक्ताओं के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र दिनांक-22.09.2014, 28.01.2015 एवं 08.04.2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सन्दर्भ में सूचित करना है कि चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति एवं आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर विचारोपरान्त कुलपति महोदय ने शासनादेश शासनादेश दिनांक-09 मई 2000, 31 दिसम्बर, 2010 व 25 नवम्बर, 2013 के आलोक में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत पाँच वर्ष की संविदा के आधार पर प्रवक्ता पद पर चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों के अनुमोदन की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की है कि अनुमोदन नेट सहित सभी शैक्षिक प्रमाण-पत्रों के सत्यापन के अधीन होगा तथा इनके अंकपत्रों का सत्यापन नियोजित अपने स्तर से भी कराकर अभिलेख अपने पास सुरक्षित रखें। महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि कोई तथ्यात्मक त्रुटि पायी गयी तो उसके लिए महाविद्यालय प्रशासन जिम्मेदार होगा तथा उक्त चयनित अभ्यर्थी अन्य महाविद्यालयों में कार्यरत/ अनुमोदित पाये गये तो उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

क्र.सं.	नाम	पिता/पति का नाम	जन्मतिथि	शैक्षिक योग्यता	प्रवक्ता
1	श्री अरविन्द कुमार पाण्डेय	श्री सूर्यभान पाण्डेय	07.12.1969	एम0ए0 नेट जून-2013	हिन्दी
2	श्री रमाशंकर यादव	श्री राम अकबाल यादव	20.06.1982	एम0ए0 नेट दिसम्बर-2013	भूगोल
3	श्री देवेन्द्र प्रताप यादव	श्री रामयज्ञ यादव	27.04.1983	एम0ए0 नेट जून-2012	प्रा0इतिहास
4	डॉ0 सुभा शर्मा	श्री वेदप्रकाश शर्मा	25.07.1978	एम0ए0 पी0एच-डी0-2012	गृहविज्ञान

अतः उपरोक्त को सुसंगत शासनादेशों के आलोक में नियुक्ति पत्र निर्गत कर, नियुक्ति पत्र की प्रति एवं संविदा प्रपत्र अभ्यर्थी एवं प्रबन्धक के स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ सहित अभिलेख हेतु विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराये तथा इसके साथ यह भी सूच्य है कि अनुबन्ध पत्र में उनको दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो, वेतन एकाउन्टपेयी चेक द्वारा ही भुगतान किया जाय तथा अध्यापकों के लिए अंशदायी भविष्यनिधि (कान्फ्रीब्यूटरी प्राविडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय साथ ही AISHE Survey के अन्तर्गत महाविद्यालय का रजिस्ट्रेशन अवश्य करा लें। यदि भौतिक सत्यापन पूर्ण नहीं तो तीन माह में पूर्ण करा लें।

भवदीय,

  
कुलसचिव